न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :–248/2022 GCMS No. 2022/183 **प्रस्तुति दिनांकः–12.09.2022**

1. भेरूराम पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. विनोद कुमार पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. केशरदेवी पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
4. चुनी देवी पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
5. मेनका पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
6. माया देवी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
7. रजनी पत्नी श्री सुभाष जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

.............वादीगण

बनाम

1. श्री अमरसिंह पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. मु0 अल्का पुत्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
4. श्री प्रदीप पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
5. श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
6. श्री मनफूल पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
7. श्री रामकैलाश पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
8. केसर पत्नी श्री बीरबल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
9. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक शाखा सूरतगढ
10. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी बैंक शाखा सूरतगढ
11. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा सूरतगढ
12. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(प्रतिवादीगण)

......लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88—53—209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक (वादीगण)
2. प्रतिवादी नं0 1 ता 12 बाद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः— 18.06.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88—53—209 आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ता 8 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक 38 पीबीएन खाता नं0 37 प0न0 55/378 (31) कि0न0 1 ता 25/2 = 6.325 है0 नाली दोयम मय खाला, प0न0 56/378 (32) कि0न0 5/1 ता 6/2, 15/1 ता 16/2, 25/1,25/3 = 1.252 है0 नाली दोयम मय रास्ता कुल 7.577 है0 नाली मय खाला रास्ता खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2071—74 की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल पत्रावली हैं। उपरोक्त संयुक्त खाता की भूमि में वादी नं0 1 के नाम 506/7577 हिस्सा यानि 0.506 है0, वादी नं0 2 के नाम 506/7577 हिस्सा यानि 0.506 है0, वादी नं0 3 के नाम 1518/7577 हिस्सा यानि 1.518 है0, वादी नं0 4 के नाम 253/7577 हिस्सा यानि 0.253 है0, वादी नं0 5 के नाम 1518/7577 हिस्सा यानि 1.518 है0, वादी नं0 6 के नाम 1012/7577 हिस्सा यानि 1.012 है0, वादी नं0 7 के नाम 1012/7577 हिस्सा यानि 1.012 हैं भूमि के खातेदार कृषक दर्ज जमाबंदी पटवार वाके है एवं इसी अनुसार वादीगण हिस्सा मुताबिक काबिज व मालिक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 ने आपसी रजामंदी से उक्त भूमि का विभाजन कर रखा हैं। विभाजन अनुसार वादी नं0 1 व 2 भेरूराम व विनोद कुमार चक 38 पीबीएन प0न0 55/378 (31) कि0न0 21 ता 24 = 1.012 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि ब0हि0ब0 खातेदारी भूमि पर, वादी नं0 3 केशरदेवी चक 38 पीबीएन प0न0 55/378 (31) कि0न0 1,9,10,11,12,20 = 1.518 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि पर, वादी नं0 4 चुनी देवी चक 38 पीबीएन प0न0 55/378 (31) कि0न0 19 = 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि पर, वादी नं0 5 मेनका चक 38 पीबीएन प0न0 55/378 (31) कि0न0 2 ता 5/2,8,13 = 1.518 है0 नाली दोयम मय खाला खातेदारी भूमि पर, वादी नं0 6 मायादेवी चक 38 पीबीएन प0न0 55/378 (31) कि0न0 16/1 ता 18,25 = 1.012 है0 नाली दोयम मय खाला खातेदारी भूमि पर, वादी नं0 7 रजनी चक 38 पीबीएन प0न0 55/378 (31) कि0न0 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2 = 1.012 है0 नाली दोयम मय खाला खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहें हैं। शेष खातेदारी भूमि को प्रतिवादी नं0 1 ता 8 द्वारा संयुक्त रूप से अपने कब्जा काश्त में कर रखी है। उपर्युक्त खाता विभाजन सभी पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति व रजामंदी से किया गया है। इसी अनुसार मौका पर कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी संयुक्त खातेदार कृषक हैं जिससे सिंचाई सुविधा रकम जमा करवाने में असुविधा होती है। वादीगण अपने हिस्से व कब्जे की भूमि का पूर्ण विकास एवं फसल की अच्छी पैदावार संयुक्त खाता होने के कारण प्राप्त नही कर पा रहे हैं। समय पर बीज—खाद—कीटनाशक पदार्थ व अन्य सिचांई सुविधा पाने में कठिनाई होती रहती हैं। इसलिये वादीगण अपने हिस्से व कब्जे की भूमि का विभाजन कब्जे अनुसार करवाकर अपना अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं।

..........लगातार 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीगण ने अर्सा करीब 7 रोज पहले बमुकान चक 38 पीबीएन में प्रतिवादीगण को हिस्सा व कब्जा अनुसार भूमि विभाजन करवाने हेतु कहां तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से कतई इंकार हो गये और कहां कि हमारे पास अदालत में जाने के लिये रूपया नही है। बस यही विनायमुखासमत वादपत्र है। अतः वादपत्र स्वीकार कर मुताबिक वादीगण डिक्री फरमाया जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 ता 12 बाद सूचना अनुपस्थित रहें। जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 20.12.2023 को वादीगण के वाद पत्र अनुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादीगण तहसील सूरतगढ के चक 38 पीबीएन खाता नं0 37 की 7.577 है0 भूमि में हिस्सा अनुसार खातेदार कृषक हैं? वादीगण
2. आया कि वादीगण वादपत्र की मद सं0 4 अनुसार जैरवाद रकबा पर काबिज रहकर काश्त कर रहें हैं एवं इसी अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते हैं? वादीगण
3. अनुतोष?

उपरोक्त तनकियात कायम होने पर वादीगण द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 16.01.2024 को साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किया। जिसकी जिरह शून्य रही।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बहस सुनी गई। वादपत्र में वकील वादीगण द्वारा मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन की डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद दस्तावेज अवलोकन तनकीयात का कमबद्व विवेचना की गई। जो कि निम्न प्रकार से हैं:–

1. आया कि वादीगण तहसील सूरतगढ के चक 38 पीबीएन ए खाता नं0 37 की 7.577 है0 भूमि में हिस्सा अनुसार खातेदार कृषक हैं?

   उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। जिसे वादीगण द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 चक 38 पीबीएन खाता नं0 37 की पेश कर साबित किया हैं। इसलिये उक्त तनकी नं0 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती हैं।

2. आया कि वादीगण वादपत्र की मद सं0 4 अनुसार जैरवाद रकबा पर काबिज रहकर काश्त कर रहें हैं एवं इसी अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते हैं?

   उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। जिसे वादीगण द्वारा अपने शपथ पत्र से साबित किया हैं। अतः उक्त तनकी नं0 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना पर वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं तहसील सूरतगढ के चक 38 पीबीएन खाता नं0 37 प0न0 55/378 (31) कि0न0 1 ता 25/2 = 6.325 है0 नाली दोयम मय खाला, प0न0 56/378 (32) कि0न0 5/1 ता 6/2, 15/1 ता 16/2, 25/1,25/3 = 1.252 है0 नाली दोयम मय रास्ता कुल 7.577 है0 ना[illegible] रास्ता खातेदारी भूमि का तहसीलदार सूरतगढ से विभाजन प्रस्ताव [illegible] 21 के अनुसार वादीगण के हिस्सा एवं कब्जा काश्त को मध्यनजर र[illegible] में अंतिम निर्णय व डिक्री हेतु प्रस्तुत हो। प्राथमिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार सूरतगढ से प्र[illegible] मंगवाया जावें। निर्णय की प्रति वादपत्र में लगाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिंनाक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:प्राथमिक डिक्री:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :–248/2022 **प्रस्तुति दिनांक:–12.09.2022**

1. भेरूराम पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. विनोद कुमार पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. केशरदेवी पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
4. चुनी देवी पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
5. मेनका पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
6. माया देवी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
7. रजनी पत्नी श्री सुभाष जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

.............वादीगण

बनाम

1. श्री अमरसिंह पुत्र श्री रूपराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. मु0 अल्का पुत्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
4. श्री प्रदीप पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
5. श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
6. श्री मनफूल पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
7. श्री रामकैलाश पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
8. केसर पत्नी श्री बीरबल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
9. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक शाखा सूरतगढ
10. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी बैंक शाखा सूरतगढ
11. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा सूरतगढ
12. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0 (प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

..................लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादपत्र धारा 88–53–209 आरटीए मुकदमा नं0 248 वर्ष 2022 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश सारस्वत के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं कि:–

दावा वादीगण स्वीकार कर जैरवाद रकबा तहसील सूरतगढ के चक 38 पीबीएन खाता नं0 37 प0न0 55/378 (31) कि0न0 1 ता 25/2 = 6.325 है0 नाली दोयम मय खाला, प0न0 56/378 (32) कि0न0 5/1 ता 6/2, 15/1 ता 16/2, 25/1,25/3 = 1.252 है0 नाली दोयम मय रास्ता कुल 7.577 है0 नाली मय खाला रास्ता खातेदारी भूमि का तहसीलदार सूरतगढ से विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 ता 21 के अनुसार वादीगण के हिस्सा एवं कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुये एक माह की अवधि में अंतिम निर्णय व डिक्री हेतु प्रस्तुत हो।

नोज..........×............ मुबलिग..........×............बाबत..........×............ खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह......×.......फस्दो की पालना ....×............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18.06.24.....को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested